कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) – 2713551
फोन न० (0135) -2713724,

संख्या–914 /XXV– /2019 देहरादून : दिनांक 13 अक्टूबर, 2020

प्रेस नोट

उत्तराखण्ड राज्य से राज्य सभा हेतु निर्वाचित सदस्य श्री राज बब्बर दिनांक 25 नवम्बर 2020 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

2– श्री राज बब्बर की सेवानिवृत्ति के उपरान्त होने वाली रिक्त की पूर्ति हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने प्रेस नोट संख्या–ECI/PN/78/2020 दिनांक 13 अक्टूबर 2020 के द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार दिनांक 20 अक्टूबर 2020 (मंगलवार) को अधिसूचना जारी की जायेगी और उसी दिन से नामांकन से संबंधित प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी।

1	अधिसूचना जारी करने की तारीख	20 अक्टूबर 2020 (मंगलवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख	27 अक्टूबर 2020(मंगलवार)
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तारीख	28 अक्टूवर 2020(बुद्धवार)
4	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	02 नवमबर 2020(सोमवार)
5	मतदान का दिनांक	09 नवम्बर 2020(सोमवार)
6	मतदान का समय	09:00 पूर्वान्ह से 04:00 अपरान्ह
7	मतगणना की तिथि एवं समय	09 नवम्बर 2020 (सोमवार) समय 05:00 बजे
8	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी	11 नवम्बर 2020 (बुधवार)

3– आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि मतदान के दौरान मतदाताओं के द्वारा मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रदान किया गया वायलेट कलर का स्केच पेन ही प्रयुक्त किया जायेगा, किसी भी परिस्थिति में मत अभिलिखित करने के लिए अन्य कोई पेन प्रयोग नहीं किया जायेगा।

4– आयोग द्वारा वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत उक्त निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की भी अपेक्षा की गयी है–

1– निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

2– निर्वाचन हेतु प्रयुक्त हॉल/रूम एवं परिसर में प्रवेश के समय,

अ–सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी।

ब–सेनिटाइजर सभी स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

3– राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत सामाजिक दूरी बनायी जायेगी।

5— आयोग द्वारा वर्तमान में कोविड—19 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये हैं जो आयोग की वेबसाइट, जिसका लिंक https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/ उपलब्ध है।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ0संख्या— 914 / XXV— /2019 , तददिनांकित।

प्रतिलिपी —

महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेशित कि उक्त प्रेसनोट को सर्वसाधार की जानकारी हेतु दिनांक 14—10—2020 को प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।